

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
तृतीय तल, ब्लाक-बी-4, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 50 / त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./2018

नया रायपुर, दिनांक 05-04-18

तकनीकी परिपत्र क्रमांक- 3/2018

\*\*\*\*\*

विभागीय कार्य हेतु, कार्य की निर्धारित मात्रा (Schedule of quantity) एवं राशि हेतु निविदा आमंत्रित कर अनुबंध किया जाता है। यदि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान कार्यस्थल की अपरिहार्य परिस्थितिवश, अनुबंध के प्रावधान अनुसार अतिरिक्त कार्य कराया जाना हो तो इसके पूर्व पुनरीक्षित कार्य की मात्रा (Revised schedule of quantity) की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जावे, तदनुसार ही अतिरिक्त कार्य हेतु सक्षम स्तर पर कार्यादेश जारी किया जावे।

नियमानुसार आवश्यक होने पर, ई-वर्क्स में अनुबंध की राशि बढ़ाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव के साथ उपरोक्तानुसार स्वीकृति आदेश एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न किया जावे।



प्रमुख अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5-4-2018

पृ.क्र. 2388/ त.शा./प्र.अ./लो.स्वा.या.वि./2018  
प्रतिलिपि-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/अंबिकापुर/कोण्डागाँव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त कार्यपालन अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख अभियन्ता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
छत्तीसगढ़, रायपुर